



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1944 (श०)

संख्या - 6 राँची, मंगलवार,

10 जनवरी, 2023 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

6 जनवरी, 2023

पत्र संख्या-पर्य./यो.-40/2017-01--झारखण्ड राज्य पर्यटक स्थल/प्रक्षेत्र घोषित करने की नियमावली (विभागीय अधिसूचना संख्या - 05, दिनांक 27.04.2016 द्वारा अधिसूचित) तथा विभागीय संकल्प सं.-1494, दिनांक 28.08.2015 (वर्गीकरण नियमावली) अन्तर्गत किए गए प्रावधान अनुसार राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के दिनांक 06.12.2022 को संपन्न बैठक में किए गए अनुशंसा के आलोक में पूर्व में अधिसूचित पर्यटक स्थलों के अतिरिक्त पर्यटन महत्व के निम्न स्थलों को उनके शीर्ष पर अंकित श्रेणी का पर्यटक स्थल/प्रक्षेत्र घोषित किया जाता है:-

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पर्यटक स्थल का नाम	पर्यटक स्थल का श्रेणी
1	2	3	4
दुमका	मसलिया	गुमरो पहाड़	C (राज्य स्तरीय महत्व का)
बोकारो	कसमार	सेवाती घाटी	D (स्थानीय स्तरीय महत्व का)
		मृगी खोह	D (स्थानीय स्तरीय महत्व का)
	गोमिया	कोनार डैम	C (राज्य स्तरीय महत्व का)
	चास	चेचका धाम	C (राज्य स्तरीय महत्व का)
		गवाई बराज	D (स्थानीय स्तरीय महत्व का)
		सतनपुर पहाड़ी	D (स्थानीय स्तरीय महत्व का)
		सीता फॉल मेला स्थल, सिंहडीह	D (स्थानीय स्तरीय महत्व का)

II. पूर्व से अधिसूचित निम्न पर्यटक स्थलों की श्रेणी निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है:-

जिला	प्रखण्ड	पूर्व से अधिसूचित पर्यटक स्थल का नाम	पूर्व की अधिसूचना सं. एवं तिथि	पूर्व से अधिसूचित श्रेणी	परिवर्तित श्रेणी
1	2	3	4	5	6
कोडरमा	कोडरमा	वृन्दाहा जलप्रपात	01, दिनांक 22.02.2019	D	C (राज्य स्तरीय महत्व का)
कोडरमा	सतगावाँ	पेट्रो जलप्रपात		D	C (राज्य स्तरीय महत्व का)
कोडरमा	मरकचो	चंचला धाम	05, दिनांक 12.03.2021	D	C (राज्य स्तरीय महत्व का)
कोडरमा	सतगावाँ	घोड़सीमर धाम (घोड़सीमर मंदिर)		D	C (राज्य स्तरीय महत्व का)

III. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं.-01, दिनांक 22.02.2019 एवं 05, दिनांक 12.03.2021 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

IV. इस पर मा. विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विमलानन्द मिश्र,
सरकार के उप सचिव।
